

पांच रुपये
FIVE RUPEES

दस रुपये
TEN RUPEES

न्यायालय - राजस्व मण्डल म० प्र० शालियर

EP/15/10/2
38

प्र० क्र०

105 पुनरीक्षा

R 684-III/105

श्री मुकेश माजीव
द्वारा आज दि० 18/5/05 को प्रस्तुत ।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० शालियर

2

8 MAY 2005

मुलायमसिंह पुत्र जगूंसिंह ठाकुर
निवासी ग्राम - गुदाकला, तहसील-
लौड़ी, जिला - छतरपुर म० प्र०

-- आवेदक

विरुद्ध

बुधुवा पुत्र तिजवा अहिरवार
निवासी ग्राम - गुदाकला, तहसील-
लौड़ी, जिला - छतरपुर म० प्र०

-- अनावेदक

न्यायालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक -
17/बी-121/02-03 में पारित आदेशां दिनांक 3.1.05 के विरुद्ध
म० प्र० मू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत पुनरीक्षा ।

WS
मुकेश माजीव
18-5-05 (5/10/02)
20/5/05

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशां अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबन्धों के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है ।
- 2- यह कि, विवादित भूमि आवेदक ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था । क्रय दिनांक से आवेदक का विज होकर कृषि करना चला आ रहा है ।
- 3- यह कि, विवादित भूमि पर अनावेदक का कोई स्वत्व नहीं है ग्राम के अन्य व्यक्ति से रंजित होने के कारण अनावेदक हरिजन है के कारण उसके द्वारा कार्यवाही कराई जा रही है ।

